(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 643—तीन/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 01—04—2010 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 58/2008—2009/अपील

.....

1— लक्ष्मीनारायण
2— भगवानलाल, पुत्रगण श्री सियाराम
निवासीगण—ग्राम चनौटी, तहसील सबलगढ़
जिला—मुरैना, म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

सियाराम पुत्र हरगोविन्द
निवासी—ग्राम चनौटी, तहसील सबलगढ़
जिला—मुरैना म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री जितेन्द्र त्यागी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश
(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 01—04—2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसील सबलगढ़ के ग्राम चनौटी में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 303 रकवा 1.18 आरे, सर्वे कमांक 304 रकवा 0.39 आरे, सर्वे कमांक 365 रकवा 1.04 आरे, सर्वे कमांक 424 रकवा 0.32 आरे, तथा सर्वे कमांक 591 रकवा 0.54 आरे कुल किता 5 कुल रकवा 3.47 आरे में हिस्सा 117 जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी विनोद कुमार पुत्र सियाराम था। विनोद कुमार पुत्र सियाराम की मृत्यु हो जाने के कारण

विवादित भूमि पर नामान्तरण किये जाने बावत एक आवेदन पत्र मृतक की मॉ पांचौबाई पत्नी सियाराम द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। विचारण न्यायालय सबलगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 04/2004–05/अ–6 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 20.12.2005 सें विवादित भूमि पर मृतक विनोद कुमार के स्थान पर उसकी मॉ पांचौबाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर पांचौबाई की भी मृत्यु हो जाने के कारण उसके पति अनावेद सियाराम के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय तहसील सबलगढ़ द्वारा पारित नामान्तरण आदेश 24.12.2005 से परिवेदित होकर आवेदकगण ने अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 07/2005–06/अपील माल पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 29.12.2007 से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2005 निरस्त करते हुये, प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2007 से दुखी होकर अनावेदक द्वारा निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 05/2007–08/निग0 माल पर दर्ज करते हुये पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 28.02.2009 से निरस्त की गई। अनावेदक द्वारा द्वितीय निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/2008–09/निगरानी पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 01.04.2010 को प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी सबलगढ़ एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मुरैना के द्वारा आदेश विधी सम्मत पारित किये गये थ, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के द्वारा गलत व अवैध आधार पर उक्त दोनों आदेश निरस्त किये गये है, जिससे दोनों आदेश अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। न्यायालय अपर आयुक्त चम्बंल संभाग, मुरैना ने पांचौबाई के मामले में नामान्तरण प्रकरण पर विचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रश्न मृतक के वारिस का न मानते हुये भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी विनोद के लावल्द मौत हो जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी की धारा–8 के सम्बन्ध में निष्कर्ष गलत व अवैध रूप

से निकालते हुये आदेश पारित किया है जो गलत व अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। कानूनन पांचौबाई की मृत्यु हो जाने पर मृतक की भूमि पर नामान्तरण का अधिकार पिता एवं पुत्र होगें । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया और आदेश अवैध रूप से पारित किया है। जो निरस्त होने योग्य है। विनोद की मृत्यु के उपरान्त उनकी मॉ पांचौबाई पत्नी सियाराम जीवित थी और उसके द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में की गई थी । नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान ही पांचौबाई की मृत्यु हो गई इस प्रकार पांचौबाई के स्थान पर विनोद के हिस्से पर उसके पिता का नामान्तरण किया जाना नियमों के विपरीत है। जब कि प्रथम श्रेणी की वारिस, मॉ ने अपने जीवन काल में ही पुत्र मृतक विनोद के स्थान पर नामान्तरण कार्यवाही की थी । इसलिये प्रथम श्रेणी की वारिस, मॉ को मान्य किया जाकर उनकी मृत्यु के पश्चात सभी वारिसें के नाम नामान्तरण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार किया जाना चाहिये था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सबलगढ़ व अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किया गया आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा अपने आदेश में गलत व्याख्या की है । प्रकरण में विवाद मात्र मृतक विनोद कुमार की भूमि का है । विनोद कुमार लवाल्द फौत हो जाने के कारण स्वअर्जित सम्पत्ति केवल मॉ–बाप की ही प्राप्त होगी । अधीनस्थ न्यायालयों ने पुत्रों को भी शामिल कर लिया गया है, जो गलत है । विनोद कुमार की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मां पांचौबाई द्वारा नामांतरण बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु नामांतरण के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाने पर मृतक के द्वितीय वारिस पिता द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया था, जो तहसीलदार सबलगढ़ के न्यायालय में स्वीकार किया जाकर नामांतरण आदेश पारित किया गया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ द्वारा निरस्त कर दिया गया और प्रथम निगरानी न्यायालय में भी इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जावे ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये और प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अभिलेखों के परिशीलन करने पर पाया गया कि प्रकरण में मात्र विवाद इतना है कि मृतक अभिलिखत भूमिस्वामी विनोदकुमार की मृत्यु हो जाने के बाद उसके हिस्से की भूमि नामांतरण करा पाने के लिये वारि कौन है । इस संबंध में अनावेदक का यह कहना की मृतक विनोदकुमार की मृत्यु हो जाने से प्रथम श्रेणी के वारिस उसकी मॉ और बाप होते है । आवेदकगण के अभिभाषक का यह कहना है कि विनोद कुमार की मृत्यु के बादउसकी मां पांचौबाई द्वारा नामांतरण कार्यवाही के दौरान पांचौबाई की भी मृत्यु भी मृत्यु हो गई थी । ऐसी स्थिति में मृतक पांचौबाई के स्थान पर उसके पुत्र और पति वारिस होने के आधार पर नामांतरण किया जाना चाहिये ।

6/ प्रकरण में अनावेदक का यह कहना है कि विवादित भूमि स्वअर्जित भूमि है और उसक लावल्द होने के बाद नामांतरण कराने की पात्रता हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–08 के अंतर्गत मृतक विनोदकुमार का कोई उत्तराधिकारी नहीं है । ऐसे स्थिति में मृतक के माता–पिता उत्तराधिकारी है । इसी के आधार पर तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा अनावेदक के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया गया है । यह आदेश उचित है । मैं अनावेदक के मत से एवं तहसीलदार सबलगढ़ के आदेश से सहमत हूँ । प्रकरण में आवेदकगण के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया था कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के तहत यह मानकर आये है कि मृतक के स्थान पर उसकी मॉ पांचौबाई के द्वारा नामांतरण का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उसकी मृत्यु नामांतरण होने के पूर्व ही हो चुकी है। ऐसे में पांचौबाई के वारिस पुत्र या पति होते है । आवेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क भी सही है कि मां–बाप की मृत्यु के पश्चात वारिस उनके पुत्र–पुत्री होते है, किन्तु प्रकरण में नामांतरण अथवा वारिस होने का विवाद ही नहीं है । विवाद तो मृतक अभिलिखित भूमिस्वामी विनोदकुमार की भूमि का है ।

7/ मैंने अभिलेख के अवलोकन से यह पाया कि मृतक विनोदकुमार द्वारा ही भूमि क्रय किया गया था तथा से बटवारा में प्राप्त हुई थी । उसके भाईयों को भी प्राप्त हो चुकी है । इस तथ्य को आवेदकगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है । प्ररकण में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि विनोदकुमार का वैद्य वारिस कोन है? उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के तहत श्रेणीबद्ध क्रम शेड्यूल –1 में विनोद कुमार का वारिस कोई नहीं, क्योंकि विनोदकुमार लावल्द

फौत हुआ है और शेड्यूल–2 के अनुसार उसके माता–पिता वारिस के आधार पर आते है। भाईयों या अन्य रिश्तेदारों का नम्बर बाद में आता है । अब मॉ के द्वारा नामांतरण का आवेदन पत्र पेश किया गया, किन्तु नामांरतण के पूर्व ही मॉ की मृत्यु हो गई। ऐसे में पिता शेष बचते है । यानि की अनावेदक सियाराम द्वारा पांचौबाई के स्थान पर अपने नाम का नामांतरण किये जाने का निवेदन तहसील न्यायालय में किया गया था । यदि विवादित भूमि की अभिलिखित भूमिस्वामी पांचौबाई होती तो निश्चित ही उसके पुत्रों को वारिस मानकर समान भाग का नामांतरण स्वीकार किया जाता । अब चूँकि प्रश्न मृतक के वारिस का न होकर अभिलिखित भूमिस्वामी कौन है? और भूमिस्वामी का वारिस कौन है, प्रश्न यह है। इसी पर विचार कर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियां, साक्ष्य और विनोदकुमार के लावल्द फौत हो जाने के कारण उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के शेड्यूल 1 व 2 का गहन अध्ययन किया, तत्पश्चात नामांतरण का आदेश पारित किया गया है ।

8/ मेरे मतानुसार विचारण न्यायालय के द्वारा नामांतरण का जो आदेश पारित किया गया है वह विधिनुकूल है और जिसे अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश में स्थिर रखा है किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में महत्वपूर्ण त्रुटि की गई है । अतः अनुविभगीय अधिकारी, सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2007 तथा अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2009 विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है और तहसील न्यायालय सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2005 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश 01.04.2010 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है और निगरानी अस्वीकार की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर अभिलेख दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर